न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्र0सं. 5/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 सरकार **बनाम** मुमताज खां पुत्र असरफ खां जाति कायमखानी निवासी कानड़वास तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कानड़वास ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **मुमताज खां पुत्र असरफ खां जाति कायमखानी निवासी कानड़वास तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा कानड़वास के खसरा नं0 428 तादादी 23.5200 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन पायतन में से 0.3500 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से बाड़ व तारबंदी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की जा चुकी है।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के प्रत्युतर में न तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया और न हीं अप्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आया। न्याय हित में अप्रार्थी को जवाब हेतु समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 11.02.2022 मुकर्रर की। लेकिन निर्धारित तारीख पेशी पर अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसी बीच तीन तारीख पेशी गुजरने पर भी अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका तात्पर्य अप्रार्थी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता। जिसके प[illegible] हमनें पत्रावली में जवाब कार्यवाई बंद कर पत्रावली [illegible] निर्णय दिनांक 16.03. 2022 में रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.01 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। हल्का पटवारी रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध सारभूत तथ्यों व अप्रार्थी द्वारा बार बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी को

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with CamScanner

ख.नं. 428 की 0.3500 हैक्टे. भूमि पर अवैध कब्जा होना प्रमाणित होता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अप्रार्थी पर भू. राजस्व का 50 गुना अर्थात् रूपये 02 तावान अधिरोपित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत फोगां भरथरी को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार मीणा)
तहसीलदार
तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.01 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner